बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 166015 पटना, दिनांक 09/10/2013

ग्रा0वि0-5/इं0आ0यो0(पृच्छा)-102-45/2013

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
सभी उप विकास आयुक्त ।

विषय :- इंदिरा आवास योजनान्तर्गत प्रतीक्षा सूची में सूचीबद्ध अविवाहित/अलग व्यक्ति को इंदिरा आवास आवंटित करने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि इंदिरा आवास योजना का उद्देश्य बेघर बी.पी.एल. परिवारों को आवास की समस्या का स्थायी समाधान किया जाना है । आवास का आवंटन प्रतीक्षा सूची में सूचीबद्ध परिवारों को किये जाने का प्रावधान है । क्षेत्रीय भ्रमण में यह पाया जा रहा है कि कुछ मामलों में अविवाहित व्यक्ति जिन्हें अलग परिवार के रूप में मान्यता मिली हुई है, को इंदिरा आवास का आवंटन नहीं किया जा रहा है ।

इस संबंध में उल्लेखनीय है कि ऐसे कई दृष्टांत है कि अविवाहित व्यक्ति, एकल परिवार के रूप में जीवन बसर कर रहे हैं । ऐसे एकल परिवार को मात्र इसी कारण से आवास की सुविधा से मात्र इसलिए वंचित करना कि वे अविवाहित हैं, तर्कपूर्ण नहीं है ।

इंदिरा आवास योजना की जून 2013 की मार्गदर्शिका की कंडिका-4.8 (प्रति संलग्न) में इंदिरा आवास का आवंटन विधवा/अविवाहित/अलग व्यक्ति को छोड़कर पति-पत्नी के संयुक्त नाम से किये जाने का प्रावधान किया गया है ।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में वैसे अविवाहित व्यक्ति जो पारिवारिक सर्वेक्षण सूची तथा इंदिरा आवास की प्रतीक्षा सूची में अलग परिवार के रूप में चिन्हित किये गये हों और वे वयस्क हो, तो उन्हें इंदिरा आवास आवंटित करने में कोई कठिनाई नहीं है, बशर्ते कि वे इंदिरा आवास के लिए निर्धारित अन्य अर्हता धारित करते हो तथा वास्तव में अलग परिवार के रूप में रह रहे हों ।

इस संबंध में अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित की जाय ।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन

8/10/13

(अमृत लाल मीणा)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक 166015 पटना, दिनांक 09/10/2013

प्रतिलिपि- (अनुलग्नक सहित) सभी प्रमंडलीय आयुक्त/आप्त सचिव, मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के सचिव

C:\Users\admin\Downloads\IAY 889.doc

(iv) For exemption, permission of Empowered Committee may be obtained after providing adequate justification and that too for a limited period of time, subject to the following conditions:-

a) The payment will be made in Gram Sabha meeting in the presence of all members.

b) The total amount sanctioned for construction of the house and the amount of instalment being paid will be announced for information of all members

c) Receipt of payment shall be taken from the beneficiary and kept on record in the Gram Panchayat

d) This will be verified specifically in Social Audit.

The State Government may decide on a particular day to mark the above event which could be observed across the state as Awaas Divas. The beneficiaries of house site component could also be given the land titles on the same day. Holding of such an event would ensure transparency and stimulate community participation in implementation and monitoring.

4.8 **Allotment of houses**

Allotment of the IAY house shall be jointly in the name of husband and wife except in the case of a widow/unmarried /separated person. The State may also choose to allot it solely in the name of the woman. In the case of beneficiaries selected under the quota for persons with disabilities, the allotment should be only to such persons. The allotment order should be in a form which may be prescribed by the State conferring the title to the house. In the case of house sites, the land identified may be assigned in the name of the eldest woman of the household except in the case of all-male households and pucca title granted as patta and house for the assignee of the land should also be allotted to that person. There should be a provision for non-alienation for at least 15 years.